

55

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0-1/04-09-36-2024

पटना, दिनांक-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत वरीयता सह योग्यता के आधार पर योग्य पाये गये निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) को प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक (परिचारी प्रवर) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-7) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	मूल कोटि में नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1	मधु कुमारी/बेगूसराय/07.12.91	पूर्णिग्याँ	24-09-18

02. साथ ही केन्द्रीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) के मामलों को विभागीय कार्यवाही लंबित रहने एवं सेवा सम्पुष्ट नहीं रहने के कारण आयोग्य की श्रेणी में रखा गया है:-

क्र0	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	मूल कोटि में नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1	रंजय कुमार नीरज/पटना/04.09.1993	किशनगंज	11-12-18

03. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त पदाधिकारियों से इस आशय का न्यायिक शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरुद्ध निगरानी/आपराधिक/फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ पत्र के उपरान्त ही कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

04. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित पदाधिकारी के विरुद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध निगरानी/फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगा।

05. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधधीन है।

06. इस आदेश से आच्छादित पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन वाले जिला/इकाई/कार्यालय में कार्यरत रहेंगे।

07. सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा आवश्यकतानुसार संशोधित/रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

27/10/24

08. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् कार्यालय/इकाई में स्वीकृत पद से अधिक संख्या में पदाधिकारी के हो जाने की स्थिति में संबंधित कार्यालय/इकाई प्रधान अविनाश पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

27/11/24

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक-पी0-1/04-09-36-2024/.....471

पटना, दिनांक- 27/11/24

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी, पी0-02 प्रशाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को यह आदेश बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/11/24

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना